

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट बीघोता)

वाद संख्या :- 01/180/2017

सम्पतराम बनाम मोहरा देवी वगैरा
दावा इस्तकरार हक

दिनांक 15.05.2018



आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट बीघोता पर पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार राजगढ द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण में सैग्रिगेशन के दौरान हाल रिकॉर्ड में नामान्तरण संख्या 555 दिनांक 28.02.2018 के द्वारा वाद पत्र से संबंधित दुरुस्ती की जा चुकी है। वकील वादी द्वारा अब प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं रहने के कारण प्रकरण नोट प्रेस में खारिज करने का निवेदन किया। वकील वादी के आग्रह पर कार्यवाही प्रकरण नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 कैम्प कोर्ट बीघोता पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट बीघोता)